फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी), रायपुर		1 सफी मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान, जाति साई निवासी बाबरा,तहसील रायपुर, जिला पाली 2 घेवरचन्द पुत्र जवारमल, जाति राव निवासी बाबरा, तहसील रायपुर, जिला पाली 3 भीकमचंद पुत्र भूराराम, जाति जैन, निवासी बाबरा, तहसील रायपुर, जिला पाली

किस्म मुकदमा :: रेफरेन्स प्रकरण संख्या 190/2018
(आर0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या 2018/00251)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.04.2018	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज0भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो। संबन्धित कार्यालय से आवंटन संबंधी रेकर्ड तलब होकर पत्रावली दिनांक **28.05.2018** को पेश हो। **अति.जिला कलेक्टर पाली**	
28/5/18	वकील मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिया है। पेशी मुल्तवी होकर पत्रावली दिनांक 7/6/2018 को पेश हो।	
07.06.2018	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण के नाम जारी नोटिस पर आसामी फौत होने बाबत रिपोर्ट आई है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार रायपुर को निर्देश दिये जाते है कि वे मृतक के का0मु0 को पक्षकार संयोजित करते हुए समस्त दस्तावेजात् की पूर्ति कर नये सिरे से 15 दिवस के भीतर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति तहसीलदार रायपुर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद पालना फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली	